

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-मुंगेली (छ.ग.)

कलेक्टरेट परिसर, कम्पोजिट बिल्डिंग, प्रथम तल, कक्ष क्र.-211

ई-मेल : mungelideo@gmail.com

दूरभाष क्र. 07755-284140

क्र./स्था.03/सीधी भर्ती/सहा.शि./2021/2426

मुंगेली, दिनांक 25/08/2021

//आदेश//

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर, के पत्र क्रमांक एफ-आर नं. 4103/2019/20-दो अटल नगर दिनांक 09.03.2019 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर के पत्र क्रमांक/स्था./विज्ञापन/सीधी भर्ती/2019/422-पी.ए. अटल नगर दिनांक 09.03.2019 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 21.11.2019 की वरीयता के आधार पर आपके दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत सहायक शिक्षक (ई संवर्ग), विषय-विज्ञान, के पद पर आपके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, सहायक शिक्षक तृतीय श्रेणी सातवें वेतनमान के बतन मैट्रिक्स लेवल 06 के पद पर नियुक्ति करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं.5 में अंकित शाला में पदस्थ किया जाता है -

रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	जाति वर्ग	पता	पदांकित शाला	चयनित संवर्ग
1	2	3	4	5	6
33020007	AES KUMAR C/o SALIK RAM	OBC	23 BARCHHA, TALAB PARA, BARCHHA, LAUDA, Mungeli, CHHATTISGARH, 495335	शासकीय प्राथ शाला लौदा, संकुल-लौदा, विख- पथरिया	OBC, VC

(एस.के. पाण्डेय)

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-मुंगेली (छ.ग.)

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-

- चयनित सहायक शिक्षक विज्ञान 01 सितम्बर 2021 से 15 सितम्बर 2021 तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि उपरांत कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वयंभ निरस्त माना जायेगा।
- चयनित सहायक शिक्षक विज्ञान संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों के मिलान के उपरांत ही पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को ही वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण माना जायेगा।
- छ.ग. शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनांक 29.07.2020 एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2021 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टापेन्ड देय होगा-
प्रथम वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
तृतीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-मुंगेली (छ.ग.)

कलेक्टोरेट परिसर, कम्पोजिट बिल्डिंग, प्रथम तल, कक्ष क्र.-211

दूरभाष क्र. 07755-264140

ई-मेल : mungelideo@gmail.com

क्र./स्था.03/सीधी भर्ती/सहा.शि.अं.मा./विज्ञान/2021/2514 मुंगेली, दिनांक 25/08/2021

//आदेश//

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ-आर नं. 1103/2019/20-दो अटल नगर दिनांक 09.03.2019 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर के पत्र क्रमांक/स्था./विज्ञापन/सीधी भर्ती/2019/422-पी.ए. अटल नगर दिनांक 09.03.2019 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 21.11.2019 की वरीयता के आधार पर आपके दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम (विज्ञान समूह) के पद पर आपके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त तीन वर्ष की परीक्षा अवधि पर, सहायक शिक्षक तृतीय श्रेणी सातवें वेतनमान के बतोन मैट्रिक्स लेवल 06 के पद पर नियुक्ति करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं.5 में अंकित शाला में पदस्थ किया जाता है :-

रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	जाति वर्ग	पता	पदांकित शाला	चयनित संवर्ग
1	2	3	4	5	6
13030120	LAKHAN LAL RAJPUT C/o FATTENARAYAN RAJPUT	OBC	10, RAJPUT PARA NO. 1, PENDRI, JARELI, Mungeli, CHHATTISGARH, 495335	इग्नार्ड शा. प्राथमिक शाला एण्डूजवार्ड, मुंगेली, विख-मुंगेली	UR

(एस.के.पाण्डेय)

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-मुंगेली (छ.ग.)

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-

- चयनित सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम (विज्ञान समूह) 01 सितम्बर 2021 से 15 सितम्बर 2021 तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि उपरांत कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
- चयनित सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम (विज्ञान समूह) संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों के मिलान के उपरांत ही पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को ही वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण माना जायेगा।
- छ.ग. शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनांक 29.07.2020 एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2021 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टापेन्ड देय होगा-
प्रथम वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
तृतीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत

कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी वाइफनगर
जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छत्तीसगढ़)

Email ID - brownagar11@gmail.com

Phone Number 07772-277565


-: कार्यमुक्ति आदेश :-

क्रमांक / 800 / स्था.-2 / 2021-22

वाइफनगर, दिनांक 21.12.2021

कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा संभाग अम्बिकापुर (छ.ग.) के आदेश क्रमांक/स्था.-2/शि.भ./1/2020/6127/अम्बिकापुर दिनांक 10.12.2021 के द्वारा श्री लेखराम बंधे पिता श्री मोतीलाल बंधे की नियुक्ति शिक्षक (शारीरिक शिक्षा) के पद पर नियुक्ति प्रदान करने के फलस्वरूप श्री लेखराम बंधे के द्वारा आज दिनांक 21.12.2021 को इस कार्यालय में कार्यभार ग्रहण उपरांत समस्त दस्तावेजों के सत्यापन पश्चात आज दिनांक 21.12.2021 को मक्यान्ह परघाट पदांकित संस्था शा0उ0ना0वि0वा0वाइफनगर, विकास खण्ड वाइफनगर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) हेतु कार्यमुक्त किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।



विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी
वाइफनगर, जिला बलरामपुर

वाइफनगर, दिनांक 21.12.2021

पू0 क्रमांक / 801 / स्था.-2 / 2021-22

प्रतिलिपि :-

1. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण सरगुजा संभाग अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बलरामपुर-रागंज (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
3. प्राचार्य, शा0उ0ना0वि0वा0वाइफनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
4. संकुल प्रमारी/समन्वयक वाइफनगर को सूचनार्थ।
5. संबंधित श्री लेखराम बंधे, शिक्षक (शारीरिक शिक्षा) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी
वाइफनगर, जिला बलरामपुर

आदेश

क./स्था.2/व्यायाम शिक्षक/ई संवर्ग/2657/2021/

बिलासपुर दिनांक-24/08/2021

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ आर नं 1103/2019/20-दो नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 09.03.2019 के द्वारा शिक्षकों के सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ इन्द्रावती भवन, खण्ड तीन- प्रथम तल, नवा रायपुर, अटल नगर क./स्था.02/सीधी भर्ती/65/2020//355/ नवा रायपुर, दिनांक 21/09/2020 के अनुक्रम में विज्ञापित पदों पर सीधी भर्ती हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 21.11.2019 की वरीयता के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत व्यायाम शिक्षक के पद पर सातवें वेतनमान 9300-34800 वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परीक्षा अवधि में व्यायाम शिक्षक ई संवर्ग के पद पर नियुक्त करते हुए, उनके नाम के सन्मुख कॉलम नं. 06 में अंकित शाला में पदस्थ किया जाता है:-


ईक/सीड नं.	उम्मीदों का नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	जाति वर्ग	पदांकित शाला का नाम	चयनित संवर्ग	
1	2	3	4	5	6	7
359/ 33041027	AJAY KUMAR BAGHEL, FATHER -KAMLESH BAGHEL	HOUSE NO- STREET- SATNAMI PARA CITY- SONDHI MARATHI POST OFFICE- SONDHI MARATHI DIST-Mungell STATE- CHHATTISGARH PINCODE-49533E	SC	यू आईस - 22192104304 शाला का नाम- शास. उ. मा.वि. पड़ियाईन विकासखंड- पथरिया, जिला- मुंगेली	SC	

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित नियम एवं शर्तों के अधीन होगी:-

- नियुक्त शिक्षक 10 सितम्बर 2021 तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- नियुक्त शिक्षक संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों के मिलान के उपरांत ही पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे।
- छ.ग. शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनांक 29.07.2020 एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2020 के अनुसार परीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेंड देय होगा-
प्रथम वर्ष - वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष - वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
तृतीय वर्ष - वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत
- छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना दिनांक 05 मार्च 2019 की कंडिका 6 की उप कंडिका (6) के अनुसार सेवा में सीधी भर्ती से नियुक्त ई संवर्ग की वरिष्ठता सूची में शामिल होंगे। नियुक्त शिक्षक की वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी मेरिट सूची तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित किया जायेगा।



About Me



Mr. RAJABABU GHRITLAHRE
DP66144@jublfood.com

Personal Details

Contact Details

Employment

Edit

Employee Code

9110305

Date of Confirmation

25 May 2022

Date of Joining

25 May 2022

Employee Status

Active

Old Employee Code

Re-Employed



Reporting Manager Code

Manoj Ghritlehare (

Tenure

Notice Period



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर
जिला-सूरजपुर (छत्तीसगढ़)
-आदेश-

सूरजपुर, दिनांक 13JUN 2022

क/2060/स्था.3/सहा.शि.भर्ती/नियुक्ति/2022-23 छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन अटलनगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ आर नं. 1103/2019/20-दो अटलनगर दिनांक 09.03.2019 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक/स्था/विज्ञापन/सीधी भर्ती/2019/422-पी.ए. अटलनगर दिनांक 09.03.2019 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 12-22/2020/20-दो नवा रायपुर दिनांक 19.02.2021 के अनुक्रम में विज्ञापित पदों हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 21 नवम्बर 2019 की वरियता के आधार पर आपके दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत आपके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, सहायक शिक्षक (विज्ञान) तृतीय श्रेणी सातवें वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल 06 के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 05 में अंकित शाला में पदरथ किया जाता है :-

रोलन.	अभ्यर्थी का नाम एवं पितर/पति का नाम	जाति वर्ग	पता	पदांकित शाला का नाम	चयनित सर्वग
33010072	YOGESH KUMAR FATHER KAMLESH KUMAR	SC	H.No-69 SATNAMI PARA 2 SONDHI M TANSIL PATAHRIA 495335 CHHATTISGARH	GOVT P.S. KURRIDIH BLOCK-BHAIYATHAN DISTRICT SURAJPUR	2

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-

1. शिक्षा सत्र 16 जून 2022 से प्रारंभ हो रहा है। नियुक्त सहायक शिक्षक 16 जून 2022 तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
2. नियुक्त सहायक शिक्षक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों के मिलान के उपरांत अनुमति प्राप्त कर पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को ही वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण माना जायेगा।
3. नियुक्त सहायक शिक्षक को आदेश प्राप्ति दिनांक से 07 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर उक्त आदेश स्वमेव रिस्त माना जायेगा।
4. छ.ग.शासन वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनांक 29.07.2020 एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2020 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्थायपेन्ड देय होगा:-

प्रथमवर्ष- उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत

द्वितीय वर्ष- उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत

तृतीय वर्ष- उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्थायपेन्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा पर तथा अस्थायी होगी। परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उचित एवं पर्याप्त कारणों के आधार पर परिवीक्षा अवधि 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।





कार्यालय



मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिला-मुंगेली (छ.ग.)

Tele -9589427852,

Email: nhmmungeli@gmail.com

क्र./एन.एच.एम./15 वें वित्त/2022-23/ 355

मुंगेली, दिनांक 22/09/2022

—:आदेश:—

15वें वित्त आयोग सत्र 2021-22 अंतर्गत अभ्यर्थी की पदस्थापना Class 4 संविदा के पद पर उनके नाम के सम्मुख स्थल में निम्नांकित शर्तों के तहत की जाती है:-

क्रं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	प्रवर्ग	चयनित प्रवर्ग	पदस्थापना स्थल
01	राजू	हरि	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	शहरी हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर - शंकर वार्ड, मुंगेली
02	मंजू	बजरंग	अनु.जन.जाति	अनु.जन.जाति	शहरी हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर - मो.बसीर खान वार्ड, मुंगेली

—:नियुक्ति शर्त:—

- 15वें वित्त आयोग सत्र 2021-22 में स्वीकृत संविदा पदों की नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. मानव संसाधन नीति 2018 के अंतर्गत होगी।
- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के कंडिका-15 (अन्य शर्तें) लागू होगी।
- संविदा पद पर मानदेय राशि रु. 10,000/- प्रतिमाह एकमुश्त वेतन की पात्रता होगी। मानदेय का भुगतान 15 वें वित्त आयोग के Health Grants के अधीन देय होगा।
- संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय होगी। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता/सुविधा किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगा।
- संविदा पद में नियुक्ति की अवधि 31 मार्च 2023 तक होगी। वार्षिक कार्यमूल्यांकन संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में ही संविदा सेवा अवधि में वृद्धि की जावेगी। भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के आधार पर ही संविदा सेवा अवधि में वृद्धि की कार्यवाही की जावेगी।
- संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को एक वर्ष की अवधि में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिनों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। एकमुश्त अधिकतम 5 दिवस आकस्मिक/ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। वर्ष के मध्य में नियुक्त होने अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश के पात्रता की गणना पूर्ण महिनो के आनुपातिक आधार पर की जावेगी। गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णांकित किया जावेगा। विश्रामावकाश विभागों में कैलेण्डर वर्ष का तात्पर्य 12 माह की वास्तविक सेवा से लगाया जावेगा।
- संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
- चयनित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करते समय/कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के भीतर जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में अनफिट पाये जाने पर नियुक्ति अमान्य की जावेगी एवं चयन निरस्त किया जावेगा।
- 10.1 प्रसव काल में दिये गये टेम्पररी अनफिट मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में अधिकतम 3 माह की समय सीमा कार्यस्थल पर उपस्थिति हेतु दी जा सकेगी। 3 माह से अधिक टेम्पररी अनफिट मेडिकल फिटनेस पाये जाने की स्थिति में अथवा चयन आदेश जारी होने के 3 माह के अन्दर फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाने की स्थिति में चयन निरस्त किया जावेगा।

क्रमशः...



STATE BAR COUNCIL OF CHHATTISGARH

(Statutory Body Under the Advocates Act - 1961)

HIGH COURT PREMISES, BILASPUR (C.G.)

ADVOCATE IDENTITY CARD

Name **Shri Yashwant**



Advocate

Roll No. C.G./ **252/2018/Adv.**

Date of Enrolment **13/05/2018**

Date of Birth **02/02/1994**


Secretary

Card No.

73

01/11/2018
Issue Date:

Address:

Village Jota, Post

Siltara, Tahsil Patharia

Distt. Mungeli (C.G.)

Telephone No.: (R)

9617581249

(O)

(M)

Ref. No.: SET-20185105712966/0415

Roll No.: 130651139



CHHATTISGARH VYAVSAYIK PARIKSHA MANDAL, ATAL NAGAR RAIPUR



&
COMMISSIONER, DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION OF CHHATTISGARH



SET EXAMINATION 2018

(Accredited by University Grants Commission, New Delhi)
(Valid in the State of Chhattisgarh only)



Certified that **PRATIBHA** Son/Daughter/Wife
of **RAMGOPAL** has qualified the Chhattisgarh State Eligibility Test (SET)
Examination 2018 held on October 28, 2018 for eligibility for the post of Assistant
Professor/Librarian/Sports Officer in colleges and Assistant Professor/Assistant Librarian/Assistant
Director (Physical Education) in the Universities in the subject **HINDI**

The date of qualifying SET is Feb. 19, 2019 which is also the date of declaration of the result.

This is an electronic certificate only and its authenticity should be verified from the
Chhattisgarh Vyavsayik Pariksha Mandal by the employer through cgvyapam.choice.gov.in. This
electronic certificate can also be verified by scanning QR Code printed on the electronic certificate.

Validity of the electronic certificate is forever.

Date of issue : **08/03/2019**

Additional Director

Department of Higher Education Government of Chhattisgarh

Member Secretary (C.G.SET)

Chhattisgarh Vyavsayik Pariksha Mandal, Naya Raipur

NOTE

- CG Vyapam has issued the electronic certificate on the basis of the information provided by the candidate in his / her Application Form. The appointing authority should verify the original records / certificates of the candidate while considering him / her for appointment, as the CG Vyapam is not responsible for the same. The candidate must fulfill the minimum eligibility condition for SET within 2 years from the date of declaration of SET result.
- Wherever SC/ST/OBC (creamy layer / non-creamy layer) is shown in the SET Ref. No., the recruitment body should check the relevant documents of this category.
- Wherever PH is shown in the SET Ref. No., the recruitment body should check the relevant documents of disabilities.

20/03/2019

महविद्यालय पत्रिका
जिला-दुर्ग (छ.ग.)

Chhattisgarh State Eligibility Test (SET) - 2018 RESULT

DETAILS	
Subject Code:	51
Roll No.:	130651139
Registration ID:	SET185105712966
Candidate Name:	PRATIBHA
Gender:	F
Relative's Name :	RAMGOPAL
Category:	ST
PWD :	
Date of Birth:	10/03/96
Domicile:	YES
MARKS AND STATUS	
Paper - I (Out of 100 Marks):	36.735
Paper - II (Out of 200 Marks):	86
Total Marks (Out of 300 Marks):	122.735
Percentage :	40.912
Status :	Eligible for Assistant Professor

Print Result

Subject Code	Subject Name
51	HINDI
52	ENGLISH
53	POLITICAL SCIENCE
54	ECONOMICS
55	SOCIOLOGY
56	HISTORY
57	GEOGRAPHY
58	PHYSICAL SCIENCE
59	MATHEMATICAL SCIENCE
60	CHEMICAL SCIENCE
61	LIFE SCIENCE
62	COMPUTER SCIENCE AND APPLICATION

Ref. No.: SET-20185105712966/0415

Roll No.: 130651139



CHHATTISGARH VYAVSAYIK PARIKSHA MANDAL, ATAL NAGAR RAIPUR
&
COMMISSIONER, DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION OF CHHATTISGARH



SET EXAMINATION 2018

(Accredited by University Grants Commission, New Delhi)
(Valid in the State of Chhattisgarh only)



Certified that PRATIBHA Son/Daughter/Wife
of RAMGOPAL has qualified the Chhattisgarh State Eligibility Test (SET)
Examination 2018 held on October 28, 2018 for eligibility for the post of Assistant
Professor/Librarian/Sports Officer in colleges and Assistant Professor/Assistant Librarian/Assistant
Director (Physical Education) in the Universities in the subject HINDI

The date of qualifying SET is Feb. 19, 2019 which is also the date of declaration of the result.

This is an electronic certificate only and its authenticity should be verified from the
Chhattisgarh Vyavsayik Pariksha Mandal by the employer through cgvyapam.choice.gov.in. This
electronic certificate can also be verified by scanning QR Code printed on the electronic certificate.

Validity of the electronic certificate is forever.

Date of issue: 08/03/2019


Additional Director

Department of Higher Education Government of Chhattisgarh


Member Secretary (C.G.SET)

Chhattisgarh Vyavsayik Pariksha Mandal, Naya Raipur

NOTE

- CG Vyapam has issued the electronic certificate on the basis of the information provided by the candidate in his / her Application Form. The appointing authority should verify the original records / certificates of the candidate while considering him / her for appointment, as the CG Vyapam is not responsible for the same. The candidate must fulfill the minimum eligibility condition for SET within 2 years from the date of declaration of SET result.
- Wherever SC/ST/OBC (creamy layer / non-creamy layer) is shown in the SET Ref. No., the recruitment body should check the relevant documents of this category.
- Wherever PH is shown in the SET Ref. No., the recruitment body should check the relevant documents of disabilities.